रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 2012/फाल्गुन 26, 1933
No. 115] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 2012/PHALGUNA 26, 1933

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2012

सा.का.नि. 154(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय चीनी संस्था, कानपुर (निदेशक) भर्ती नियम, 1998 को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के अधीन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर 'निदेशक' (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान** : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** : उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता : वह व्यक्ति -**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान
1	2	3	4
निदेशक	01* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4 37,400-67,000/- रुपए और ग्रेड वेतन 10,000/- रुपए

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
5	6
चयन	50 वर्ष से अधिक न हो टिप्पण: 1 केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण: 2 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उपखंड तथा लाहौल और स्पीति जिले, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
7
आवश्यक :- I किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से जैव रसायन विज्ञान/भौतिक रसायन विज्ञान/कृषि रसायन विज्ञान/कार्बनिक रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से चीनी प्रौद्योगिकी/चीनी इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ विज्ञान में बेचलर डिग्री अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से रसायन/यांत्रिकी/इलैक्ट्रकल इंजीनियरी में डिग्री अथवा राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर द्वारा चीनी प्रौद्योगिकी/ चीनी इंजीनियरी में सह सदस्यता डिप्लोमा II किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री स्तर पर अनुसंधान/व्यावहारिक/शिक्षण का पंद्रह वर्ष का अनुभव जिसमें डिजाइन बनाने, चीनी विनिर्माण का अद्यतन या रासायनिक संयंत्र खड़ा करने या प्रचालन करने में अनुभव शामिल है। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की दशा में कारण लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अहर्ता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्त/ स्थानांतरण द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
8	9	10
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : जी, हां।	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण किया जाएगा
11

प्रोन्नति :

वेतन बैंड-4, 37400-67000 रुपए और ग्रेड वेतन 8700 रुपए में निम्नलिखित ऐसे अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो:-

1	आचार्य, चीनी प्रौद्योगिकी
2	आचार्य, चीनी इंजीनियरी
3	आचार्य, रसायन इंजीनियरी
4	आचार्य, कार्बनिक रसायन विज्ञान
5	आचार्य, कृषि रसायन विज्ञान
6	आचार्य, जैव रसायन विज्ञान
7	आचार्य, भौतिक रसायन विज्ञान
8	मुख्य डिजायन इंजीनियर

टिप्पण-1 : प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों को अपनी-अपनी श्रेणियों/पदों पर विहित अर्हता सेवा पूरी करने की तारीख के प्रति निर्देश से तैयार की जाएगी।

टिप्पण-2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता ऐसी पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से आधे से अधिक से या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसे अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण(अल्पकालिक संविदा सहित)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों /सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध सरकारी/कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-4, अर्थात् 37,400-67,000/- रुपए और ग्रेड वेतन, 8700/- रुपए या समतुल्य मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के बाद 3 वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तम्भ 7 में सीधी भर्ती के लिए यथाविहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव है:-

टिप्पण 1 : पोषण प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि के जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
12	13
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य 3. अपर सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य **समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति** (सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की पुष्टि के लिए) 1. सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग - अध्यक्ष 2. अपर सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग - सदस्य 3. अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग - सदस्य	सीधी भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति (अल्प-कालिक संविदा सहित) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/9/2010-शर्करा प्रशासन]

टी. जैकब, संयुक्त सचिव

861 GI/12-2

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2012

G.S.R. 154(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur (Director) Recruitment Rules, 1998, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director, National Sugar Institute, Kanpur under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution) namely :-

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, National Sugar Institute, Kanpur, Director (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Post, classification and pay band and Grade Pay/scale of pay.- The number of post, its classification and the pay band and Grade Pay/scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification: - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.
1	2	3	4
Director.	01* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-4 Rs. 37,400-67,000 Grade Pay of Rs. 10,000

Whether Selection or Non Selection Post.	Age limit for direct recruits.	Educational & other qualifications required for direct recruits.
5	6	7
Selection.	Not exceeding fifty years. Note 1. - Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2.- The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date prescribed for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (I) Master's Degree in Science in Bio-Chemistry/ Physical Chemistry/ Agriculture Chemistry/Organic Chemistry of a recognized University or Institute; OR Bachelor's Degree in Science with Post Graduate diploma in Sugar Technology/Sugar Engineering from a recognized University or Institute; OR Degree in Chemical/ Mechanical/ Electrical Engineering of a recognized University or Institute; OR Associate ship Diploma in Sugar Technology/ Sugar Engineering awarded by National Sugar

		Institute, Kanpur. (II) 15 years' research/practical / teaching experience at degree level from a recognized institute including experience in designing, erecting and operating an up-to-date Sugar Manufacturing or Chemical Plant. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for the reasons recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of posts to be filled by various methods.
8	9	10
Age : No Educational Qualifications: Yes.	One year for direct recruits.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract) and failing both by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption Grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition.
11	12
Promotion:- Promotion from amongst the following officers in Pay Band-4 of Rs. 37400-67000 and grade Pay of Rs. 8700 with three years' regular service in the respective grade:- 1. Professor of Sugar Technology 2. Professor of Sugar Engineering 3. Professor of Chemical Engineering 4. Professor of Organic Chemistry 5. Professor of Agriculture Chemistry 6. Professor of Bio-chemistry 7. Professor of Physical Chemistry 8. Chief Design Engineer **Note-1**: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying/eligibility service in the respective grades/posts. **Note–2**:- Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	**Group 'A" Departmental Promotion Committee (For considering promotion)** 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Secretary, D/o Food & Public Distribution - Member 3. Additional Secretary, D/o Food & Public Distribution – Member **Group 'A" Departmental Promotion Committee (For Confirmation of direct recruits)** 1. Secretary, D/o Food & Public Distribution – Chairman 2. Additional Secretary, D/o Food & Public Distribution – Member 3. Additional Secretary, D/o Consumer Affairs - Member

86140112-3

Deputation (including short-term contract) Officers under the Central/ State Governments/ Union Territories/Universities/Recognized research Institutions/Public Sector Undertakings/ Semi-governments/ Statutory or Autonomous Organizations :- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/Department ; or (ii) with three years' service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-4 of Rs. 37400-67000 with Grade Pay of Rs. 8700/- or equivalent in the parent Cadre/Department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column 7. Note-1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note- 2**: Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13
Consultation with UPSC necessary while making Direct recruitment and appointing an Officer on deputation (including short-term contract).

[F. No. A-12018/9/2010-SA]

T. JACOB, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.